न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– **174/2020**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2020/00315**

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
खुबाराम पुत्र मिसराराम जाति जीनगर निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा		1.सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 28.11.2025

1.संक्षिप्त मे आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कितपाला तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 6 प्रार्थी की खातेदारी भूमि अवस्थित थी। मूल खसरा संख्या 6 मे से सिणली से कितपाला जाने वाली सड़क निर्माण होने के कारण नवीन खसरा संख्या 459/6 रकबा 20.19 बीघा व खसरा संख्या 461/6 रकबा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा संख्या 460/6 रकबा 4.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क विप्रार्थी संख्या 01 के खाते मे दर्ज हुई,लेकिन लटढा नक्शा मे वास्तविक सड़क कटान मार्ग अनुरूप तरमीम नही की जाकर उसके विपरीत तरमीम किए जाने के कारण प्रार्थी की खातेदारी खसरान का रकबा व तरमीम प्रभावित हो गई। जिसके कारण प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ा रहा है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 459/6,460/6 व 461/6 की परिशिष्ट अ अनुसार रकबा व तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश नही मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो पत्रावली शामिल मिसल है। विप्रार्थी पक्ष वक्त बहस उपस्थित नही रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कितपाला तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 6 प्रार्थी की खातेदारी भूमि अवस्थित थी। मूल खसरा संख्या 6 मे से सिणली से कितपाला जाने वाली सड़क निर्माण होने के कारण नवीन खसरा संख्या 459/6 रकबा 20.19 बीघा व खसरा संख्या 461/6 रकबा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा संख्या 460/6 रकबा 4.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क विप्रार्थी संख्या 01 के खाते मे दर्ज हुई,लेकिन लटढा नक्शा मे वास्तविक सड़क कटान मार्ग अनुरूप तरमीम नही की जाकर उसके विपरीत तरमीम किए जाने के कारण प्रार्थी की खातेदारी खसरान का रकबा व तरमीम प्रभावित हो रही। जिसके कारण प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ा रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की उर्वरता को बढाने के लिए सरकारी योजनाओ का फायदा भी उठा नही पा रहा है। जबकि विप्रार्थी पक्ष द्वारा भी स्वीकार किया है कि वास्तविक मौका स्थिति के अनुरूप सड़क की तरमीम नही हो रखी है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप विवादित भूमि की रकबा व तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कितपाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 459/6 व 461/6 कुल क्षेत्रफल 3.4965 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आवगी खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा संख्या 460/6 क्षेत्रफल 0.6637 (किस्म गै.मु.सड़क) सड़के हिस्सा–पूर्ण संस्था के लिए खाते मे दर्ज है। विवादित आराजी का विदयमान नक्शा व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित खसरान की तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही हो रखी है। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी,मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 अनुसार ग्राम कितपाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 459/6 व 461/6 कुल क्षेत्रफल 3.4965 हैक्टयर भूमि प्रार्थी खुबाराम पुत्र मिसराराम जाति जीनगर निवासी सिणधरी चौसिरा के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 460/6 क्षेत्रफल 0.6637 (किस्म गै.मु.सड़क) सड़के हिस्सा–पूर्ण संस्था के लिए खाते मे दर्ज है। वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लटढा ट्रैस मौजा कितपाला मे उक्त खसरान की तरमीम भी इसी अनुसार दर्ज है। परन्तु मौका अनुसार तरमीम संलग्न नक्शा व अनुसार है,जिसमे खसरा संख्या 459/6 का रकवा 2.4767 हेक्टयर,खसरा संख्या 461/6 रकवा 0.9955 हैक्टयर व खसरा संख्या 460/6 रकवा 0.6880 हैक्टयर है,इसी अनुरूप रकवा व तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है,कि विवादित खसरान की रकवा व तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप रेकर्ड व लटढा नक्शा दुरूस्त किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है,क्योकि ऐसा किए जाने पर मौका एवं रेकर्ड मे एकरूपता बनेगी तथा विवाद की स्थिति भी समाप्त हो जावेगी। मौका रिपोर्ट को विप्रार्थी पक्ष द्वारा भी स्वीकार किया गया है,स्वीकार की स्थिति मे विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी हो रखे है। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी पक्ष को रेकर्ड दुरूस्ती किए जाने पर आपति नही है, यदि होती तो विप्रार्थी द्वारा उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा नही किया गया। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपने आवेदन को सावित करने मे सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति सावित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कितपाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 459/6 क्षेत्रफल 3.3913 हैक्टयर व खसरा संख्या 461/6 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 3.4965 हैक्टयर के स्थान पर खसरा संख्या 459/6 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टयर व खसरा संख्या 461/6 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 3.4722 हैक्टयर व खसरा संख्या 460/6 क्षेत्रफल 0.6637 हैक्टयर के स्थान पर रकवा 0.6880 हैक्टयर रकवा राजस्व रेकर्ड (जमावंदी) दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा साथ ही विवादित आराजी खसरान संख्या 459/6,460/6 व 461/6 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक 3359/19.11.2024 के द्वारा प्रेपित मौका फर्द के संललग्न परिशिष्ट व मुताविक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दर्शित परिशिष्ट ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार रकबा व तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

28/11/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/11/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अधिकारी (SDO)
...रा